

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ/385/1614/2018/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17/7/2018

प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
जनजातीय कार्य विभाग  
भोपाल

विषय :- मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, 1995 भाग-2 के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

...

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, 1995 भाग-2 में जनजातीय कार्य विभाग (पूर्व नाम आदिम जाति कल्याण विभाग) मध्यप्रदेश को सरल क्रमांक 1, 3 एवं 26 के अन्तर्गत वर्तमान प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों को अधिकमित करते हुए एतद् द्वारा निम्नलिखित वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं:-


क्रमांक	मद	प्राधिकारी	वित्तीय अधिकार की सीमा
1.	शालाओं/छात्रावासों/आश्रमों के फर्नीचर, प्रयोगशाला उपकरण व शिक्षण संसाधन (Teaching Aids) का कय	1.विभागाध्यक्ष	पूर्ण शक्तियां
		2. कलेक्टर	₹. 25.00 लाख प्रति वर्ष
		3.जिला अधिकारी	₹. 5.00 लाख प्रति वर्ष
		4.प्राचार्य/बीईओ	₹. 2.00 लाख प्रति वर्ष
3. (i)	शालाओं/छात्रावासों/आश्रमों के लिए रसोई उपकरण, बर्तन आदि का कय	1. कलेक्टर	पूर्ण शक्तियां
		2.जिला अधिकारी	₹.5.00 लाख प्रति वर्ष
		3.प्राचार्य/बीईओ	₹.1.00 लाख प्रति वर्ष
(ii)	शालाओं/छात्रावासों/आश्रमों के लिए खेल सामग्री, संगीत सामग्री का कय/संधारण	1. कलेक्टर	पूर्ण शक्तियां
		2. जिला अधिकारी	₹.5.00 लाख प्रति वर्ष
		3.प्राचार्य/बीईओ	₹.1.00लाख प्रति वर्ष
(iii)	शाला/छात्रावास/आश्रम के संचालन के लिए अन्य विविध सामग्री	1. जिला अधिकारी	₹.5.00 लाख प्रति वर्ष
		2.प्राचार्य/बीईओ	₹.1.00लाख प्रति वर्ष
26.	शाला/छात्रावास/आश्रम भवन संधारण	1. कलेक्टर	₹. 5.00लाख प्रति भवन
		2.जिला अधिकारी	₹.5.00 लाख प्रति वर्ष
		3.प्राचार्य/बीईओ	₹.2.00 लाख प्रति वर्ष

16/7/18

//2//

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
16/7/18  
(पंकज अग्रवाल)  
प्रमुख सचिव  
म0प्र0शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ 1886 / 1614 / 2018 / नियम / चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 17/7/2018

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
2. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।

  
(अजय चौबे)  
उप सचिव  
म.प्र.शासन, वित्त विभाग